



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1594

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 40595 वर्ष 2025

अभिषेक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: राजेश कुमार पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, विभा द्विवेदी

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पांडे और राज्य प्रतिवादी के विद्वान ए.जी.ए. प्रथम श्री एस.के. राय तथा प्रतिवादी पक्ष संख्या 4, उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति की विद्वान अधिवक्ता सुश्री विभा द्विवेदी की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आरोपी-आवेदक, अभिषेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 114/2025, धारा 351 (3) बीएनएस और 3/4 (2) पीओसीएसओ अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन हाफिजपुर, जिला-हापुर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक 31.07.2025 से जेल में बंद है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 04.09.2024 को दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आवेदक ने सूचनाकर्ता के बेटे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का प्रयास किया। चिकित्सा रिपोर्ट में पीड़ित के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। पीड़ित के बयान में धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत विरोधाभास है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस मामले में 26.08.2025 को आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और आवेदक से आगे की हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की अर्जी दी गई है।

माननीय एजीए और प्रतिवादी पक्ष संख्या 4 के माननीय अधिवक्ता ने उक्त तथ्यों का पुरजोर विरोध किया, लेकिन उनका खंडन नहीं कर सके।

इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपी-आवेदक **अभिषेक** को, मुकदमा अपराध संख्या के अंतर्गत, व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतों को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि में प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए। निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

6 जनवरी, 2026

दीपक/

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।